‘सुधार सरकार के मजबूत इरादे का नतीजा’

सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फैसलों का दायरा और व्यापक होगा

अर्चिस मोहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले वर्षों में उनकी सरकार के फैसलों की गति और उनका दायरा बड़ा और व्यापक होगा। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा किए जा रहे सुधार लगातार जारी रहेंगे क्योंकि यह उनके लिए ‘कोई विवशता नहीं बल्कि पक्के इरादे का सवाल’ हैं।

इस मौके पर नई दिल्ली में राजग नेताओं और मुख्यमंत्रियों को संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के करीब है। उन्होंने कहा कि हाल ही में तेल और गैस की खोज के क्षेत्र में ‘अच्छी खबरें’ आई हैं और वर्ष 2014 से 2016 के बीच सरकार के शुरुआती सालों में लिए गए फैसलों की वजह से भारत विनिर्माण केंद्र बनने की राह पर है।

मोदी ने कहा कि आने वाले सालों में भारत पर्यटन और खेल जैसे दो और क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाला है और देश ओलिंपिक की मेजबानी की तैयारी भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने, शहरों के बीच नवाचार का केंद्र बनने और क्षेत्रों के बीच सबसे अधिक नौकरियां पैदा करने की ‘स्वस्थ प्रतिस्पर्धा’ ही भारत की तरक्की की कुंजी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की धीमी आर्थिक विकास दर के लिए कांग्रेस का सत्ता में रहते हुए फैसले न ले पाना जिम्मेदार था।

उन्होंने कहा कि इसे गलत तरीके से ‘हिंदू ग्रोथ रेट’ कहा गया जबकि इसे ‘कांग्रेस ग्रोथ रेट’ कहा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस ‘कांग्रेस ग्रोथ रेट’ में सरकारी कामकाज, इरादे और नीति की कमी थी। मोदी ने अपने 37 मिनट के भाषण में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग सरकार पहली बार सत्ता में आई और तभी देश को तेज विकास की झलक मिली। उन्होंने वर्ष 2004-2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार का जिक्र किया और कहा, ‘दुर्भाग्य से, 2004 में देश एक बार फिर अस्थिरता के दौर में फंस गया।’ उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जब राजग सरकार बनी तो देश की किस्मत फिर से बदल गई।

इससे पहले दिन में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री को ‘भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री’ के तौर पर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सम्मानित करने का प्रस्ताव पारित किया। राजग की बैठक में भी प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया। मंत्रिमंडल के सदस्यों और राजग नेताओं ने खड़े होकर मोदी का अभिवादन किया। कैबिनेट ने ‘विकसित भारत’ के मोदी के दृष्टिकोण का समर्थन किया और राष्ट्रीय सुरक्षा, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय पर उनके नेतृत्व की तारीफ की। केंद्र सरकार ने राजग सरकार के 12 साल पूरे होने पर एक बुकलेट भी जारी की जिसमें कहा गया कि पिछले 12 सालों में आयकर बोझ कम होना सरकार के ‘रामराज्य’ के दृष्टिकोण को दिखाता है। इसमें कहा गया कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने, फेसलेस टैक्स सिस्टम शुरू करने और डिजिटल इंडिया जैसे सुधारों ने सार्वजनिक तंत्र में भरोसा बनाने में मदद की है, जिससे भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। मोदी ने गठबंधन की राजनीति के दौर का जिक्र किया। उन्होंने राजग की बैठक में कहा कि अस्थिरता के उस दौर में देश को नुकसान उठाना पड़ा था और अब लोग राजनीतिक स्थिरता और एक स्थिर सरकार के फैसले लेने की क्षमता के महत्त्व को समझने लगे हैं। उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए जनता ही ईश्वर है।’ प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल की आलोचना की।

प्रधानमंत्री को कई देशों के प्रमुखों और राष्ट्राध्यक्षों से बधाई संदेश मिले। हालांकि, कांग्रेस ने कहा कि मोदी भले ही किसी ‘खुद से तय किए गए और संदिग्ध तरीके से बनाए गए’ लक्ष्य तक पहुंच गए हों मगर वे भारत के गले में एक ‘बोझ’ की तरह हैं और ‘लोकतंत्र की हत्या’ के लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त, 1947 को भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक शानदार कैबिनेट का नेतृत्व किया और ऐसी कैबिनेट जैसी दुनिया में शायद ही कभी देखी गई होगी।

उन्होंने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर कहा कि अगले पांच सालों में आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। रमेश ने कहा ‘560 से अधिक रियासतों को शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय संघ में मिलाया गया, भारत के संविधान पर चर्चा हुई और उसे अपनाया गया, जमींदारी प्रथा खत्म की गई, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू किया गया, कई बहु-उद्देशीय सिंचाई-सह-बिजली परियोजनाएं शुरू की गईं, विज्ञान और तकनीक की क्षमता के लिए बुनियादी ढांचा (परमाणु ऊर्जा सहित) तैयार किया गया और भारत वैश्विक मामलों में एक ताकत के तौर पर उभरा।’

उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत के शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करके वैज्ञानिक सोच को खत्म कर दिया गया है जैसा हाल ही में नीट- सीबीएसई घोटालों से पता चला है। रमेश ने कहा, ‘जहां नेहरू 1952, 1957 और 1962 में भारी बहुमत से जीते थे वहीं मोदी 2024 में साधारण बहुमत भी नहीं पा सके और उन्हें खुद को प्रधानमंत्री घोषित करने के लिए भाजपा संसदीय दल को दरकिनार कर जल्दबाजी में राजग की बैठक बुलानी पड़ी।’

राजग सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़े होकर बधाई दी

ईयू प्रमुख समेत वैश्विक नेताओं ने दी बधाई

यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित दुनिया के कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लगातार सबसे लंबे समय तक भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पद पर रहने के लिए बुधवार को बधाई दी। मोदी को बधाई देने वाले वैश्विक नेताओं में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जाई-म्युंग, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोग्बे, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और कई अफ्रीकी देशों के नेता शामिल रहे। अमेरिका और नेपाल व मंगोलिया जैसे देशों के कई नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष लेयेन ने मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और संगठन के देशों के साथ भारत की साझेदारी को रेखांकि किया। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट में कहा, 'आपके नेतृत्व में भारत न सिर्फ चांद पर पहुंचा है, बल्कि सितारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। प्रौद्योगिकी, परिवहन, सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में हमारे सहयोग से लेकर अब तक के सबसे बड़े व्यापार समझौते तक, हमने साथ मिलकर जो कुछ भी हासिल किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद।' मेलोनी ने मोदी को बधाई देते हुए हाल में भारत और इटली के बीच शुरू हुई विशेष रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया।

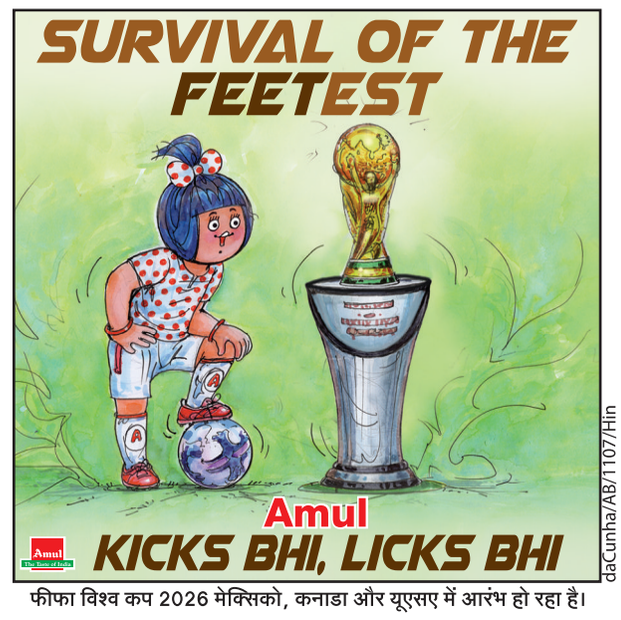

फीफा विश्व कप 2026 मेक्सिको, कनाडा और यूएसए में आरंभ हो रहा है।

अहमदाबाद मेट्रो चरण 2ए मंजूर

ध्रुवाक्ष साहा

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2(ए) को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर 2,169 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह चरण 6 किलोमीटर लंबा होगा और इसके पूरा होने पर अहमदाबाद-गांधीनगर के बीच 77.63 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क हो जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर आश्रम रोड, कोटेश्वर प्राचीन मंदिर, साबरमती नदी, सरदार नगर और हवाई अड्डा नए स्टेशन होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दे दी। सरकार ने एक बयान में कहा कि अमरावती में जीपीआरए परिसर 17 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय,
‘लोकमंगल’, 1501, शिवाजी नगर,
पुणे-411005

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पात्र तथा प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं / बोलीदाताओं से ‘‘**आरएफपी – 13/2026-27 एक वर्ष के लिए वीएमवेयर (VMware) लाइसेंस की आपूर्ति, कार्यान्वयन और अपग्रेड**’’ के लिए मुहरबंद निविदा प्रस्ताव (तकनीकी बोली तथा वाणिज्यिक बोली) आमंत्रित करता है।

विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट **https://www.bankofmaharashtra.bank.in** पर ‘टेंडर सेक्शन’ में तथा और जेम पोर्टल **https://gem.gov.in** पर **दिनांक 09.06.2026** से उपलब्ध है।

आरएफपी संख्या : आरएफपी – 13/2026-27
जीईएम बोली संख्या: GEM/2026/B/7613030
बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 01.07.2026, 17:00 Hrs

इच्छुक बोलीदाता उपर्युक्त साइट से आरएफपी दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं। निविदाओं से संबंधित सभी अन्य अपडेट GeM पोर्टल पर भी उपलब्ध होंगे। बैंक बिना कोई कारण बताए आरएफपी प्रक्रिया को रद्द करने या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ह/-
दिनांक : 10.06.2026 मुख्य महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

गर्मी : कामकाजी लोगों की सेहत पर असर

अंजलि सिंह

भारत में जारी भीषण गर्मी के प्रकोप का असर अब स्वस्थ कामकाजी लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। प्लम द्वारा किए गए एक नए विश्लेषण के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन), इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और किडनी पर तनाव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

यह अध्ययन 22,000 से अधिक लोगों के नियमित स्वास्थ्य जांच रिकॉर्ड पर आधारित है। इस अध्ययन में मार्च से मई के भीषण गर्मियों के महीनों के बायोमार्कर (जैविक संकेतक) डेटा की तुलना नवंबर से फरवरी के ठंडे महीनों के डेटा से की गई। इसमें पाया गया कि गर्मी और डिहाइड्रेशन के कारण क्लिनिकली असामान्य रीडिंग्स में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

अध्ययन में डिहाइड्रेशन का सबसे स्पष्ट संकेत गाढ़ा मूत्र पाया गया, जो शरीर में पानी की कमी का सीधा संकेतक है। गर्मियों में यह समस्या 25 प्रतिशत अधिक देखी गई और लगभग हर तीन में से एक व्यक्ति इससे प्रभावित पाया गया। वहीं, अम्लीय (एसिडिक) मूत्र के मामले भी 28 प्रतिशत बढ़ गए, जो डिहाइड्रेशन के कारण किडनी पर बढ़ते दबाव का संकेत माने जाते हैं। सबसे चौंकाने वाले निष्कर्षों में से एक यह था कि गर्मी के महीनों में सोडियम का स्तर कम होने के मामलों में 59 फीसदी वृद्धि हुई।

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह प्रवृत्ति न केवल पसीने से सोडियम के नुकसान का संकेत देती है, बल्कि यह इलेक्ट्रोलाइट्स के पर्याप्त प्रतिस्थापन के बिना केवल सादे पानी के अत्यधिक सेवन के कारण रक्त सोडियम के स्तर में कमी का भी संकेत है। विश्लेषण में कहा गया है कि इसका समाधान केवल अधिक पानी पीना नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स लेना भी है। सभी बायोमार्कर में मैग्नीशियम की कमी में सबसे तेज वृद्धि देखी गई, जिसके मामले गर्मी के महीनों में तीन गुना से अधिक हो गए। मैग्नीशियम पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है और इसे केवल पानी से फिर से भरा नहीं जा सकता है। इस वजह से लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने से थकान, ऐंठन और अनियमित दिल की धड़कन की समस्या हो सकती है। विश्लेषण में यह भी देखा गया कि गर्मियों में डिहाइड्रेशन के कारण कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। जिससे किडनी स्टोन (गुर्दे की पथरी) का खतरा बढ़ता है। यह सर्दियों की तुलना में गर्मियों में लगभग दो गुना ज्यादा पाया गया, हालांकि कुल मामलों की संख्या ज्यादा नहीं थी।

गर्मी की लहरों के महीनों के दौरान रक्त से संबंधित बायोमार्कर में भी बदलाव देखे गए। गर्मी में हीमोग्लोबिन का निम्न स्तर 18 फीसदी अधिक था, जबकि हेमेटोक्रिट और आयरन का निम्न स्तर क्रमशः 13 और 17 फीसदी तक बढ़ गया। शोधकर्ताओं के अनुसार ये बदलाव शरीर की उस प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसके जरिए वह खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है।

IDBI BANK

हॉल नं0 एच–2, भूतल, पदमदीप टॉवर, जी–10/8,
संजय पैलेस आगरा– 282002, उत्तर प्रदेश,

कब्जा नोटिस नियम 8(1) (अचल सम्पत्ति के लिए)

एतद् द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए नोटिस दिया जाता है। बैंक ने निम्न उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटीदाताओं/बन्धककर्ता को उनके नामों के सामने दर्शायी गई तारीख को मांग सूचना जारी की कि उपर्युक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर नोटिस में वर्णित राशि को चुकता कर दें। चूंकि वे उपर्युक्त राशि को चुकता नहीं कर पाए, अतः उन्हें और आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उपर्युक्त (अधिनियम) की धारा 13 (4) क अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता के उसके (उनके) नाम के सामने दर्शायी गई तारीख को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेषकर उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटीदाताओं/ बन्धककर्ता और सामान्य तौर पर आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे ऐसी संपत्ति का सौदा न करें, ऐसी संपत्ति के सौदे पर नीचे वर्णित राशि और उस पर भविष्य के ब्याज व प्रभार आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होंगे।

	ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	कब्जा लेने की तिथि	बकाया राशि
1.	**शाखाः संजय पैलेस, आगरा** श्रीमती सीमा सिंघल, श्री कृष्णा शर्मा, श्री नितिन सिंघल।	**1.** बंधक भूतल पर स्थित दुकान संख्या 8, नगर निगम संख्या 31/के-586-587-603, क्षेत्रफल 10.67 वर्ग गज अथवा 8.92 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 586, 587 एवं 603 के भाग में स्थित, संगीता-पुरम, ताजगंज, वार्ड, तहसील एवं जनपद आगरा में स्थित। सीमाएं निम्न प्रकार हैं: उत्तर में: 9 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण में: अन्य व्यक्तियों की भूमि, पूर्व में: दुकान संख्या 7, पश्चिम में: सीढ़ियां। उस पर निर्मित सभी भवन एवं संरचनाओं सहित तथा पृथ्वी से संलग्न अथवा पृथ्वी से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से जुने हुए सभी संयंत्र एवं मशीनरी सहित। **2.** बंधक भूतल पर स्थित दुकान संख्या 9, नगर निगम संख्या 31/के-586-587-603, खसरा संख्या 31/के-586, 587 एवं 603 के भाग में स्थित, क्षेत्रफल 13.94 वर्ग मीटर, संगीतापुरम, ताजगंज वार्ड, तहसील एवं जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश - 282001 में स्थित। सीमाएं निम्न प्रकार हैं: उत्तर में: 9 फीट चौड़ा रास्ता एवं निकास, दक्षिण में: अन्य व्यक्तियों की भूमि, पूर्व में: सीढ़ियां, पश्चिम में: रास्ता एवं 4 फीट चौड़ा निकास मार्ग।	**02.04.2026**	**09.06.2026**	**रु0 24,31,628.63** और उस पर शुद्ध ब्याज यदि कोई हो

दिनांकः– 10.06.2026 **स्थान – आगरा** **प्राधिकृत अधिकारी आईडीबीआई बैंक**

THIS IS AN ADDENDUM TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR COMPLIANCE PURPOSE ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT.

vedanta iron & steel

VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED
Corporate Identification Number (CIN): U24109MH2023PLC411777
REGISTERED OFFICE: C-103 Atul Projects, Corporate Avenue New Link, Chakala MIDC, Mumbai, Maharashtra, India – 400093
Tel: +91 22 6643 4500 | Email id: visl.cs@vedanta.co.in | Website: https://www.vedantaironandsteel.com
Contact Person: Ms. Tina Lakhani, Company Secretary and Compliance Officer

ADDENDUM 1 TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT DATED JUNE 10, 2026 ISSUED BY VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED

Capitalised terms used but not defined herein have the meaning assigned to them in the Information Memorandum and the Public Announcement of Vedanta Iron and Steel Limited dated June 10, 2026.

Point 18, is added, by way of this addendum 1, to the public announcement dated June 10, 2026 issued by Vedanta Iron and Steel Limited, as below:

18. REGULATORY ACTION IF ANY - DISCIPLINARY ACTION TAKEN BY STOCK EXCHANGE / SEBI AGAINST THE PROMOTERS IN LAST 5 FINANCIAL YEARS:

Show cause notice issued by SEBI against Sterlite Industries Limited (now merged with VEDL)

SEBI issued a show cause notice to Sterlite Industries India Limited (now merged with VEDL) (“SIIL”) to show cause as to why it should not proceed against SIIL under Section 24 read with Section 27 of the SEBI Act, 1992 for alleged violation of Regulation 4(a) and 4(d) of the SEBI (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 1995 (“Alleged Violations”). SIIL replied to the show cause notice. Thereafter, the Chairman of SEBI (“Authority”) passed an order dated April 19, 2001, prohibiting SIIL from accessing the capital markets for a period of two years and ordering prosecution proceedings against SIIL, through its directors namely Anil Agarwal, Tarun Jain and Shashikant, for the Alleged Violations (“Impugned Order”). Accordingly, SEBI proceeded to file a criminal complaint before the 8th Additional Chief Metropolitan Magistrate’s Court at Esplanade Mumbai (“Trial Court”). SIIL filed an appeal before the Securities Appellate Tribunal (“SAT”) against the Impugned Order. The Impugned Order was subsequently overruled by the SAT vide an order dated October 22, 2001, on the basis that inter alia there was insufficient material evidence to establish that SIIL had, directly or indirectly, engaged in market manipulation and allowed the appeal filed by SIIL (“SAT Order”). SEBI filed an appeal before the High Court of Judicature at Bombay (“Bombay High Court”) against SIIL, its Director, Anil Agarwal and others (“Accused”) challenging the SAT Order which is currently pending. SIIL filed a criminal application before the Bombay High Court to stay the criminal proceedings initiated by SEBI through its criminal complaint since the Impugned Order was set aside by SAT. The Bombay High Court inter alia vide an order dated November 22, 2006 admitted the application and granted an interim stay on the criminal proceedings. As per the amendment to the SEBI Act, 1992 through the Securities Law (Amendment) Act, 2014, the jurisdiction of the matter has been transferred from the Trial Court to the sessions court. The aforementioned interim stay on the criminal proceedings granted by the Bombay High Court continues to be in force as on date. The matter is currently pending.

The above addition is to be read in conjunction with the public announcement dated June 10, 2026 issued by Vedanta Iron and Steel Limited. The information in this Addendum supplements the public announcement dated June 10, 2026 issued by Vedanta Iron and Steel Limited and updates the information therein, as applicable.

For Vedanta Iron and Steel Limited
sd/-

Tina Lakhani
Company Secretary & Compliance Officer
ACS: 34723

Date: June 11, 2026
Place: Panaji, Goa